

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 362 ]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 30 अगस्त 2016—भाद्र 8, शक 1938

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 अगस्त 2016

क्र. एफ 1-68-2016-ब-2-दो.—विभागीय परीक्षाओं के संबंध में विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 781-221-द्वितीय-बी(11), दिनांक 31 जनवरी 1961 तथा उसमें समय-समय पर किए गये संशोधन के स्थान पर निम्न प्रावधान निहित किये जाते हैं:—

इन नियमों को भारतीय पुलिस सेवा के सहायक पुलिस अधीक्षकों/राज्य पुलिस सेवा के उप पुलिस अधीक्षकों को अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम-सह-परीक्षा से संबंधित नियम माना जावेगा.

1. **विभागीय परीक्षा की तारीख एवं स्थान.**—(अ) भा.पु.से. मध्यप्रदेश संवर्ग-परीक्षाएं मध्यप्रदेश पुलिस अकादमी भौरी (भोपाल) में राज्य प्रशिक्षण के तत्काल बाद आयोजित की जावेगी.

(ब) रा.पु.से. के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये परीक्षाएं, जिला प्रशिक्षण के पश्चात् मध्यप्रदेश पुलिस अकादमी भौरी (भोपाल) में वापस आने के तत्काल बाद आयोजित की जावेगी.

(स) जो अधिकारी समस्त अथवा किसी विषय के प्रश्न पत्रों में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं उनके लिये लगभग 6 माह पश्चात् पुनः परीक्षा आयोजित की जायेगी, ऐसे अधिकारियों को परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु कुल चार प्रयास प्राप्त हो सकेंगे.

2. **विभागीय परीक्षा के विषय.**—विभागीय परीक्षा निम्न विषय में ली जावेगी:—

- (i) मध्यप्रदेश पुलिस रेग्युलेशन एवं मध्यप्रदेश विविध अधिनियम.
- (ii) आचरण नियम एवं कार्यालयीन प्रक्रिया.
- (iii) हिन्दी (गैर हिन्दी भाषी अधिकारियों के लिये)

ऐसा कोई भी अधिकारी गैर-हिन्दी भाषी होगा जिसने:—

(क) उसने मैट्रिक या उसके समकक्ष परीक्षा हिन्दी माध्यम से या हिन्दी विषय लेकर उत्तीर्ण नहीं की हो या,  
अथवा

(ख) उसकी मातृभाषा हिन्दी नहीं हो.

3. **विभागीय परीक्षा का पाठ्यक्रम.**—बिन्दु क्र. 2 में उल्लेखित विषयों का पाठ्यक्रम परिशिष्ट-अ में वर्णित है.

4. **विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होने का स्तर.**—उत्तीर्ण होने के लिये निम्नानुसार न्यूनतम अंक अर्जित किये जाने होंगे:—

क्रमांक	विषय/प्रश्न पत्र	अवधि	पूर्णांक	न्यूनतम उत्तीर्ण अंक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	मध्यप्रदेश पुलिस रेग्युलेशन एवं मध्यप्रदेश विविध अधिनियम	2 घंटे	200	120
2	आचरण नियम एवं कार्यालयीन प्रक्रिया	2 घंटे	200	120
3	हिन्दी (गैर-हिन्दी भाषी अधिकारियों के लिये)	1 घंटे	100	40

5. **परीक्षा उत्तीर्ण न होने के परिणाम.**—ऐसे अधिकारी जो सभी प्रश्न पत्रों में उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं उसके परिणाम परिशिष्ट-ब में संलग्न है जिसमें मध्यप्रदेश शासन यथा आवश्यक संशोधन कर सकता है.

6. **अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम-सह-परीक्षा का संचालन.**—

- (i) परीक्षा मध्यप्रदेश पुलिस अकादमी भौरी के नियंत्रण में संचालित की जावेगी.
- (ii) विभिन्न प्रश्न पत्रों को तैयार कराने उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कराने का उत्तरदायित्व पुलिस महानिदेशक का होगा.
- (iii) प्रश्न पत्रों का मुद्रण कराना एवं परिणाम तैयार करने का दायित्व मध्यप्रदेश पुलिस अकादमी भौरी (भोपाल) का होगा.
- (iv) हिन्दी के पेपर के अतिरिक्त अन्य सभी प्रश्न पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार किये जावेंगे.
- (v) प्रत्येक विषय का प्रश्न पत्र तीन भागों में विभक्त होगा—अ भाग में वस्तुनिष्ठ, ब भाग में लघु उत्तरीय प्रश्न एवं स भाग में विवरणात्मक प्रश्न पूछे जावेंगे.
- (vi) लघु उत्तरीय एवं विवरणात्मक भाग में आंतरिक विकल्प भी दिये जा सकते हैं.
- (vii) प्रश्न तैयार किये जाने, परीक्षा कराये जाने से लेकर परीक्षा परिणाम घोषित होने तक के दौरान पूर्ण गोपनीयता रखे जाने का दायित्व मध्यप्रदेश पुलिस अकादमी का होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अजीजा सरशार जफर, उपसचिव.

परिशिष्ट "अ"

प्रश्न पत्र क्रमांक 1

मध्यप्रदेश पुलिस रेग्युलेशन एवं मध्यप्रदेश विविध अधिनियम

पाठ्यक्रम (1)	सम्मिलित की जाने वाली मुख्य खण्ड/कंडिकायें (2)
मध्यप्रदेश पुलिस रेग्युलेशन	संपूर्ण रेग्युलेशन
मध्यप्रदेश विविध अधिनियम	मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम/नियम, मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990, मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति नियम, मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981, मध्यप्रदेश बंदी अधिनियम/नियम, 1967, नारकोटिक्स ड्रग्स साइक्रोट्राफिक सब्सटेंशस (मध्यप्रदेश) अधिनियम, 1985, मध्यप्रदेश ऋणियों का संरक्षण अधिनियम, 1937, मध्यप्रदेश ग्राम तथा नगर रक्षा समिति अधिनियम, 2000, मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000, मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2010.
मजिस्ट्रियल एवं न्यायिक जांच प्रक्रिया.	सम्पूर्ण

प्रश्न पत्र क्रमांक 2

आचरण नियम एवं कार्यालयीन प्रक्रिया

पाठ्यक्रम (1)	सम्मिलित की जाने वाली मुख्य खण्ड/कंडिकायें (2)
मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965.	सम्पूर्ण
मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966.	सम्पूर्ण
मूलभूत नियम	नियम—11, 12क, 13, 14, 18, 22, 24, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 127
विभागीय जांच प्रक्रिया	सम्पूर्ण
मध्यप्रदेश भंडार क्रय नियम, 2015	सम्पूर्ण
मध्यप्रदेश अवकाश नियम, 1977	सम्पूर्ण
मध्यप्रदेश वित्तीय अधिकारों का प्रत्यायोजन.	सम्पूर्ण
मध्यप्रदेश में बजट प्रक्रिया एवं पद्धति	सम्पूर्ण
मध्यप्रदेश यात्रा भत्ता नियम	सम्पूर्ण
आहरण संवितरण अधिकारी के अधिकार एवं कर्तव्य.	सम्पूर्ण

## प्रश्न पत्र क्रमांक 3

## हिन्दी

हिन्दी प्रश्न पत्र का स्तर कक्षा 10वीं स्तर के समकक्ष रहेगा.

परिशिष्ट "ब"

निर्धारित अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण न करने पर वर्तमान में प्रचलित निबन्धनों को दर्शाने वाली अनुसूची—

क्रमांक	पद का नाम	सभी विषयों में परीक्षा उत्तीर्ण न करने के परिणाम	वेतनवृद्धियां किस प्रकार दी जायेगी
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सहायक पुलिस अधीक्षक (भा.पु.से.)	स्थायीकरण नहीं किया जाएगा तथा द्वितीय वेतन वृद्धि रोक ली जाएगी.	भा. पु. से. (परिवीक्षा) नियमों के अधीन एक वर्ष की सेवा पूरी हो जाने पर प्रथम वेतनवृद्धि मिल जाती है. द्वितीय वेतनवृद्धि उन लोगों द्वारा, जिन्हें इसकी छूट प्राप्त नहीं है, हिन्दी की विहित परीक्षा उत्तीर्ण, मध्यप्रदेश पुलिस रेग्युलेशन एवं मध्यप्रदेश विविध अधिनियम तथा आचरण नियम एवं कार्यालयीन प्रक्रिया की विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने पर दी जाती है.
2	उप पुलिस अधीक्षक.	(1) सीधी भर्ती स्थायीकरण नहीं किया जाएगा.	(1) सीधी भर्ती सीधी भरती के अधिकारी जिन्होंने यथास्थिति, सभी विषयों में विहित विभागीय परीक्षाये उच्चस्तर से उत्तीर्ण कर ली हों या जिन्हें उत्तीर्ण करने से राज्य शासन द्वारा छूट दी गई हो एवं स्थाईकरण किया जा चुका हो.

**टीप.**—जो अधिकारी किन्हीं प्रश्न-पत्रों में अनुत्तीर्ण रह जाते हैं उनके लिए लगभग छः माह पश्चात् पुनः परीक्षा आयोजित की जाएगी. ऐसे अधिकारियों को परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु कुल चार प्रयास प्राप्त हो सकेंगे.

Bhopal, the 30th August 2016

No. F-1-68-2016-B-2-Two.—Notification No 781-221-II-B(11), dated, Bhopal, the 31st January, 1961 on Departmental Examination are being replaced by the following provisions.

These rules shall be deemed to be part of the rules pertaining to compulsory training programme-cum-examination of ASPs of Indian Police Service and Dy. S. Ps. of State Police Service.

**1. Date and Venue of departmental examination—** (a) IPS, MP Cadre- Departmental examination shall be conducted in MP Police Academy Bhauri (Bhopal) soon after the compulsory state training of the IPS officers.

(b) Departmental examination for probationers of State Police Service shall be conducted at MP Police Academy Bhauri after their return to academy on completion of their district training.

(c) Departmental examination will be conducted again after about six month for the officers who fail to qualify in all or any of the papers. These officer will be allowed a total of four attempts in the departmental examinations.

**2. Subjects of departmental examination.**—Departmental examination will be conducted in following subjects:—

- (i) MP Police Regulations and MP Minor Acts.
- (ii) Conduct Rules and Office procedure.
- (iii) Hindi ( for Non-Hindi speaking officers).

All such officers shall be deemed non-hindi speaking:—

- (a) Who has not passed matriculation or it's equivalent in Hindi medium, or with Hindi language as one of the subjects.

or

- (b) Whose mother tongue is not Hindi,

**3. Syllabus of Departmental examination.**—The syllabus of the mentioned subjects under point (2) above has been described in Appendix 'A'.

**4. Level of passing departmental examination.**—Minimum marks required for passing each of the subject is mentioned here under :—

No.	Subject and paper	Duration	Total Marks	Minimum passing marks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(i)	M.P. Police Regulation and M.P. Minor Act's	2 Hours	200	120
(ii)	Conduct rules and office procedures	2 Hours	200	120
(iii)	Hindi (for Non-Hindi speaking officers)	1 Hours	100	40

**5. Consequence of failing in departmental examination.**— An officers who fails to qualify the papers of departmental examination may be subjected to different consequences as determined by the government from time to time. The current provisions in this regard is enclosed in Appendix 'B'. These Provision may be amended by the Government of M.P. as and when deemed necessary.

**6. Conduct of compulsory training programme cum examination.**—

- (i) The departmental exmination shall be conducted by MP Police Academy Bhouri, Bhopal.
- (ii) The responsibility for preparation of question papers and evaluation of answer sheet will rest with the DGP MP.
- (iii) The responsibility of getting the question papers printed and result prepared will rest with the MP Police Academy Bhouri.
- (iv) All question papers except Hindi, will be prepared in both-English and Hindi.
- (v) The question papers of all subject will be divided in to three sections—
  - (A) Objective
  - (B) Short Answers type questions and
  - (C) Descriptive questions.

- (vi) Short answer type and Descriptive questions may have internal alternatives.
- (vii) The entire responsibility of maintaining confidentiality in the preparation of question paper conduct of examination, till declaration of result will rest with the MP Police Academy.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
AZIZA SARSHAR ZAFAR, Dy. Secy.

APPENDIX—A

**Paper—I**

**M. P. Police regulation and MP Minor Acts**

Syllabus (1)	Important Sections/Paragraphs to be incorporated (2)
MP Police Regulations	Entire
MP Minor Act	M. P. Excise Act/Rules, M. P. State Security Act, 1990, M. P. SC/ST Rules, M. P. Dakaiti Aur Vyapharan Prabhavit Keshetra Adhinyam, 1981, Narcotic Drugs and Psychotropic substance of M. P. Act, 1985, M. P. Identification of Prisoners Rules, 1967, M. P. Protection of Debtors Act, 1937, M. P. Gram Tatha Nagar Raksha Samiti Adhinyam, 2000, M. P. Nikshepakon Ke Hiton Ka Sanrakshan Adhinyam, 2000, M. P. Public Service Guarantee Act, 2010.
Magisterial and Judicial Enquiry procedure.	Entire

**Paper—II**

**Conduct Rules and Office Procedures**

Syllabus (1)	Important Sections/Paragraphs to be incorporated (2)
M. P. Civil Services (Conduct) Rules, 1965	Entire
M. P. Civil Service (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966.	Entire
Fundamental Rules	Rules, 11, 12A, 13, 14, 18, 22, 24, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 127.
Departmental Enquiry Procedure	Entire
M. P. Store and Purchase Rules, 2015	Entire
M. P. Leave Rules, 1977	Entire
Delegation of Financial Powers of M. P.	Entire
Planning and Budget in M.P.-Procedure and Systems.	Entire
M. P. TA Rules	Entire
Power and Duties of DDO	Entire

**Paper—III**

**Hindi**

The level of Hindi paper will be equivalent to that of Xth standard.

**APPENDIX—B**

Appendix showing the present strictures on failing the departmental examination

Sl. No.	Designation	Consequences of not passing all the subjects	Regulation of Increment
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Assistant Supdt. of Police (IPS).	Not to be made permanent, and the second increment would be withheld.	Under the IPS (probation) rules the first increment is granted after completing one year in service. However the second increment to those who are not exempted, is granted only when they qualify the prescribed examination in Hindi and departmental examinations in M. P. Police Regulation & Minor Acts and Conduct rules & Office procedures.
—	Dy. S. P.	Direct recruitment:— Not to be made permanent.	Direct recruitment Dy. SPs, who have passed all departmental exams by high rank or who have been exempted, by the State Government from passing the exams and made permanent.

Departmental examination will be conducted again after about six month for the officers who fail to qualify in any of the papers. These officer will be allowed a total of four attempts in the departmental examinations.